महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

कमांक : एफ–2( )/शिक्षा/मदसविविअ/2020/ दिनांक :

कार्यालय आदेश

संयुक्त सचिव उच्च शिक्षा (शिक्षा ग्रुप–4) विभाग राजस्थान द्वारा आयुक्त कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर को पत्र कमांक प. 31 (1) शिक्षा–4/2014 जयपुर दिनांक– 27.06.2014 प्रेषित किया गया था। इस पत्र के अनुसार राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बी0एड0 पाठ्यक्रम मे नव–प्रवेशित विद्यार्थियों से राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की कोई राशि छात्रों से नही लिए जाने के निर्देश दिये गये थे।

साथ ही राजस्थान सरकार (शिक्षा ग्रुप–4) विभाग द्वारा एक आदेश कमांक प.11(3) शिक्षा–1 /4/2009 पार्ट दिनांक– 08 जुलाई 2016 को जारी किया गया जिसमें शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों के लिए बी.एड./शिक्षा–शास्त्री, एम.एड./ शिक्षा–आचार्य, बी.पी.एड. / एम.पी.एड. एवं बी.ए.बी.एड./ बी.एड.एम. एड. एवं बी.एस.सी. बी.एड. के विद्यार्थियों के लिए अन्तरिम वार्षिक शुल्क राशि निर्धारित की गई है।

उपर्युक्त वार्णित दोनों ही दस्तावेज में दिये गये एवं सरकार द्वारा जारी आदेश/ निर्देश महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के शिक्षा विभाग में वर्तमान मे संचालित द्विवर्षीय बी.एड. एवं एम. एड. दोनों पाठ्यकमों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों पर लागू होते है। इसी कम मे विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय के आदेश दिनांक– 23.10.2020 की अनुपालना में द्विवर्षीय बी.एड. एवं एम.एड. पाठ्यकम में प्रवेशित विद्यार्थियों से वर्तमान सत्र 2020–21 में एवं भविष्य में भी किसी भी प्रकार की कोई अतिरिक्त राशि विश्वविद्यालय द्वारा नही ली जावेगी।

Sd/-
कुलसचिव

कमांक : एफ–2( )/शिक्षा/मदसविविअ/2020/23914-922 दिनांक : 8-12-20

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. वित्त नियंत्रक, मदसविवि, अजमेर को शिक्षा विभाग के द्विवर्षीय बी.एड. एवं एम.एड. पाठ्यकम के विद्यार्थियों से उपरोक्त आदेशानुसार किसी भी प्रकार का शुल्क अतिरिक्त रूप से नही लिये जाने हेतु प्रेषित है।
2. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, मदसविवि, अजमेर को शिक्षा विभाग के द्विवर्षीय बी.एड. एवं एम.एड. पाठ्यकम के विद्यार्थियों से Identity Card, Insurance एव अन्य सेवाओं के लिए उपरोक्त आदेशानुसार किसी भी प्रकार का शुल्क अतिरिक्त रूप से नही लिये जाने हेतु प्रेषित है।
3. सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष, मदसविवि, अजमेर को शिक्षा विभाग के द्विवर्षीय बी.एड. एवं एम.एड. पाठ्यकम के विद्यार्थियों से उपरोक्त आदेशानुसार पुस्तकालय उपयोग हेतु ली जाने वाली Library Annual Membership Fee & Library Security Deposit Fee नही लिए जाने हेतु प्रेषित है।
4. निदेशक, स्पोर्ट्स बोर्ड, मदसविवि, अजमेर को शिक्षा के द्विवर्षीय बी.एड. एवं एम.एड. पाठ्यकम के विद्यार्थियों से उपरोक्त आदेशानुसार Games Fee नही लिए जाने हेतु प्रेषित है।
5. संयोजक, प्रोस्पेक्ट्स समिति, मदसविवि, अजमेर को प्रेषित कर लेख है कि (a) प्रोस्पेक्ट्स मे पृष्ठ संख्या 32 पर अंकित Fees के मद में "A" "University Fees for all Courses" से बी. एड. प्रथम एवं द्वितीय वर्ष एम.एड प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियो को मुक्त रखा जाए (B) मद "B" "Fees for Science Subjects only" यह भी बी.एड. प्रथम एवं द्वितीय वर्ष एम.एड प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियो से नही ली जाए। (C) "C" "Tution Fees" मे से बी.एड. एवं एम. एड पाठ्यकमों का नाम हटाया जाए साथ ही यह फीस भी बी.एड. प्रथम एवं द्वितीय वर्ष तथा एम.एड प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियो से नही ली जाए (D) पृष्ठ संख्या 33 पर अंकित Fees के मद में "D" एवं "E" Course Fees (Professional Faculty Fund & SFS as applicable) में B.Ed. द्वितीय वर्ष & M.Ed. द्वितीय वर्ष लिखा जाए तथा इन विद्यार्थियों को दोनों वर्षो के लिए 200 रूपये के Professional Faculty Fund से मुक्त रखा जाए।
6. संयोजक, ऑनलाईन प्रवेश प्रकिया, मदसविवि, अजमेर को प्रेषित कर लेख है कि विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में संचालित पाठ्यकमों हेतु आप द्वारा निर्धारित की जाने वाली प्रवेश प्रकिया से शिक्षा विभाग के द्विवर्षीय बी.एड. एवं एम.एड. पाठ्यकम के द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियो को पंजीयन शुल्क मुक्त रखा जावे क्योकि इनका प्रवेश पीटीईटी एव पीएमईटी के माध्यम से निश्चित किया जाता है।
7. वैब एडमिनस्ट्रेटर, मदसविवि, अजमेर को विश्वविद्यालय की वैब साइट पर अपलोड करने हेतु।
8. निजी सचिव, कुलपति, मदसविवि, अजमेर।
9. निजी सहायक, कुलसचिव, मदसविवि, अजमेर।

Ritu Mathur 3.12.20
प्रभारी